"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 502] रायपुर, गुरूवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2013— कार्तिक 9, शक 1935

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 12-02/दो-गृह/सै.क./2013 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ सैनिक कल्याण संचालनालय (तृतीय श्रेणी अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियम की अनुसूची में,-

1. अनुसूची - तीन के कालम (2) के शीर्षक "शीघ्र मुद्रलेखक (स्टेनोटायपिस्ट)" के अन्तर्गत कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी).

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर /प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एंट्री में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)."

2. कॉलम (2) से संबंधित शीर्षक में, शीर्षक "निम्न श्रेणी लिपिक" के स्थान पर, शीर्षक "सहायक ग्रेड-तीन" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. अनुसूची - तीन के कालम (2) के शीर्षक "निम्न श्रेणी लिपिक" के अन्तर्गत कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर /प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र.

(3) हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के.माथुर, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2013

क्रमांक एफ 12-02/दो-गृह/सै.क./2013 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 12-02/दो-गृह/सै.क./2013, दिनांक 31-10-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के.माथुर, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 31st October 2013

NOTIFICATION

No. F 12-02/2-Home/DSW/2013.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Directorate of Sainik Welfare (Class III Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1987, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rule,-

1. For the entries relating to column (5) under heading "Steno-typist" of column (2) of Schedule - III, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) 60 words per minute speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

2. In heading relating to column (2), for the heading "Lower Division Clerk" the heading "Assistant Grade-III" shall be substituted.

3. For the entries relating to column (5) under heading "Lower Division Clerk" of column (2) of Schedule -III, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute.

(3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.